प्रेस विज्ञप्ति
11.05.2024

प्रवर्तन निदेशालय, रांची ने धन–शोधन निवारण अधिनियम) पीएमएलए(, 2002के प्रावधानों के तहत भूमि घोटाले के मामलों में जारी जाँचों में से एक भानु प्रताप प्रसाद और अन्य के मामले में तीन आरोपियों संजीत कुमार ,मोहम्मद इरशाद और तापस घोष को दिनांक9 /5/2024 को गिरफ्तार किया है। भूमि अभिलेखों की जालसाजी ,छेड़छाड़ और निर्माण में उनकी भूमिका के लिए इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार भूमि की प्रकृति को बदलना ,जिन्हें छोटा नागपुर किरायेदारी अधिनियम) सीएनटी अधिनियम (के तहत गैर-बिक्री योग्य के रूप में नामित किया गया है ,एक कानून जिसका उद्देश्य आदिवासी और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के भूमि अधिकारों की रक्षा करना है। जांच के दौरान रांची और कोलकाता स्थित भू-राजस्व विभाग के सरकारी अधिकारियों की सक्रिय संलिप्तता सामने आयी है। संजीत कुमार और तापस घोष ने रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस ,कोलकाता में संविदा कर्मचारी के रूप में काम किया। कोलकाता में रखे गए मूल रिकॉर्ड ,जिनकी पहचान जाली और छेड़छाड़ की गई थी ,को फोरेंसिक जांच के लिए माननीय विशेष न्यायालय)पीएमएलए(, रांची के आदेश पर प्रस्तुत किया गया है। जांच से यह भी पता चला कि उपरोक्त आरोपियों द्वारा इस तरह की हेराफेरी और जालसाजी के माध्यम से हासिल की गई कुछ जमीनें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अवैध कब्जे में हैं।

ईडी ने झारखंड पुलिस और कोलकाता पुलिस द्वारा सरकारी अधिकारियों सहित कई व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर समान *कार्यप्रणाली* के साथ भूमि घोटाले के पांच मामलों में जांच शुरू की ।

ईडी की जांच में पता चला है कि झारखंड में भू-माफियाओं का एक गिरोह सक्रिय है जो रांची और कोलकाता में जमीन के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करता है। जमीन की संपत्तियों के अवैध अधिग्रहण/कब्जे/उपयोग को आसान बनाने के लिए मालिकों के मूल जमीन के रिकॉर्ड से या तो छेड़छाड़ की जाती है या उन्हें छुपाया जाता है। इसके बाद जाली जमीन के रिकॉर्ड के आधार पर ऐसी जमीनों को दूसरे लोगों को बेच दिया जाता है। ईडी ने पहले ऐसे मामलों में 55 तलाशी और 9 सर्वेक्षण किए थे और भूमि राजस्व विभाग की जाली मुहरें ,जाली जमीन के दस्तावेज ,उनके बीच अपराध की आय के वितरण के रिकॉर्ड ,जालसाजी करते हुए तस्वीरें ,सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के सबूत आदि जैसे अपराध संकेती साक्ष्य जब्त किए गए थे। तलाशी के परिणामस्वरूप1 . 27करोड़ रुपये) लगभग (नकद बरामद और जब्त किए गए और बैंक खातों में शेष3 . 56करोड़ रुपये फ्रीज किए गए। भूमि घोटाले के मामलों में ,ईडी ने 266 करोड़ रुपये) व्यावसायिक मूल्य (मूल्य के दागी जमीन के पार्सल को अनंतिम रूप से जब्त किया है।रंजन , आईएएस) पूर्व डीसी ,रांची(, भानुप्रताप प्रसाद) राजस्व उपनिरीक्षक(, अमित कुमार अग्रवाल ,प्रेम प्रकाश आदि को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और भूमि घोटाले के वर्तमान में जांच के मामलों में ईडी द्वारा तीन अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं।

इससे पहले उक्त मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भानुप्रताप सिंह हुड्डा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।रांची के राजस्व अधिकारी और मूल सरकारी अभिलेखों के संरक्षक प्रताप प्रसाद को रांची के बरियातू में8 . 8एकड़ की अचल संपत्ति के रूप में अपराध की आय को अर्जित करने ,रखने और छिपाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। हेमंत सोरेन को उक्त संपत्ति के अवैध अधिग्रहण और कब्जे में सहायता करने और उसे बढ़ावा देने में उनकी भूमिका के लिए उनके और चार अन्य आरोपियों के खिलाफ 30.03. 2024को अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी। 31 करोड़ रुपये) सरकारी मूल्य (की उक्त संपत्ति को भी ईडी ने अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था। इसके बाद ,सद्दाम हुसैन ,अफशर अली ,प्रियारंजन सहाय ,बिपिन सिंह ,अंतु तिर्की और इरशाद अख्तर को भी जालसाजी और भूमि अभिलेखों में हेराफेरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

आगे की जांच जारी है।

******